

रिमाण्ड ड्यूटी आदेश

मैं, के.पी.सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर म0प्र0, माह जून 2024 के अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय सागर एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी नियत करता हूँ। अवकाश के दिनों में कॉलम क्रमांक-2 में वर्णित मजिस्ट्रेट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नियत स्थानों में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

जिला मुख्यालय-सागर			
क्रं.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक (माह जून-2024)	रिमार्क
1.	श्री अंकित श्रीवास्तव	2	
2	श्रीमती उर्मिला खेड़कर	16	
3.	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	15	
4.	श्री आशीष शर्मा	9	
5.	सुश्री पूजा अहिरवार	23	
5.	सुश्री रीना शर्मा	30	
6.	श्री रोहित शर्मा	17	
तहसील मुख्यालय- बीना			
1.	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी	23	
2.	श्री शरद जोशी	30	
तहसील मुख्यालय- खुरई			
1.	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर	17,	
2.	श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया	2, 9	
3.	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	23, 30	
4.	सुश्री श्रेया गक्खर	15, 16,	
तहसील मुख्यालय- बण्डा			
1.	श्री आशीष कुमार माथौरिया	2, 9	
2.	श्रीमती प्रिया गुप्ता	17, 23	
3.	सुश्री संध्या मुदगल	15,16,30	
तहसील मुख्यालय-रहली			
1.	श्री सतीश शर्मा	17, 23, 30	
2.	श्री नितिन वर्मा	2, 9, 15, 16	
तहसील मुख्यालय-गढाकोटा			
1.	सुश्री सोनल सिंह जादौन	16, 17, 23	

2.	श्री अम्बर श्रीवास्तव	2, 9, 15, 30	
तहसील मुख्यालय-देवरी			
1.	सुश्री निकिता चौहान	2, 30	
2.	श्री मनोरम तिवारी	17,23	
3.	श्री दीपू शाक्य	9,15,16	
तहसील मुख्यालय-केसली			
1.	श्री सत्यम देवलिया	23, 30	

1. यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
2. रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमांड के समय धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 दंप्रसं. के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।
3. रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश आवेदन में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु सहमति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट्स की सहमति बावत आवेदन में लेख करेंगे तथा सहमत मजिस्ट्रेट की अनापत्ति भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन उस मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी उक्त विशेष अवकाश घोषित होने के ठीक पूर्व के अवकाश की थी।
4. यदि किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं होते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक के सामान्य आदेश के नोट क्रमांक-1 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड कार्य भी सम्पादित किया जावे।
5. समस्त मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जित अवकाश/मेडीकल अवकाश/सी.सी.एल./अन्य लम्बी अवधि के अवकाश हेतु आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया जाता है, और उक्त अवकाश स्वीकृति की सूचना के पूर्व यदि रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में उस मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है और रिमाण्ड ड्यूटी लगने के बाद उक्त मजिस्ट्रेट का अवकाश स्वीकृत हो जाता है तो उस अवकाश हेतु आवेदन पेश करने वाले मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह इस कार्यालय को अवकाश स्वीकृति की

सूचना तत्काल प्रेषित करें, जिससे कि उनके स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु आदेशित किया जा सके।

6. रिमाण्ड मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के साथ-साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी में भी सहयोग करेंगे।
7. समस्त मजिस्ट्रेट को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे बिना अनुमति के किसी भी स्थिति में मुख्यालय न छोड़ें।

नोट:-

1. श्री शरद जोशी एवं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी बीना के अवकाश अवधि के दौरान खुरई में रिमाण्ड ड्यूटी के दिन उपलब्ध न्यायिक मजि० खुरई के साथ-साथ बीना एवं श्री सत्यम देवलिया न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी केसली के अवकाश अवधि के दौरान तहसील देवरी में रिमाण्ड ड्यूटी के दिन उपलब्ध न्यायिक मजि० देवरी के साथ-साथ केसली की रिमाण्ड ड्यूटी एवं अति आवश्यक कार्य भी संपादित करेंगे तथा इस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

30/5
(के.पी.सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर।
2. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर
3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट सागर।
4. समस्त मजिस्ट्रेट जिला सागर
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सागर/खुरई/बीना/बण्डा/गढ़ाकोटा/रहली/देवरी/केसली
6. जूनियर एनॉलिस्ट, सर्वर रूम, सागर को समस्त मजिस्ट्रेट को मेल करने हेतु।

(के.पी.सिंह)

29/05/24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

